न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 06 / 2015</u> संस्थित दिनांक—26.10.2006 फाईलिंग नंबर—230303000772006

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

------अभियोजन

वि रू द्ध

 रूपा उर्फ रूपसिंह धोबी पुत्र कालीचरण धोबी उम्र 34 साल निवासी माहौ थाना मालनपुर

--उपस्थित आरोपी

2. नेता उर्फ नेतराम पुत्र रामरतन जाटव उम्र 31 साल निवासी हरीराम पुरा

-----धारा 317 (2) दप्रसं के अंतर्गत पृथक

3. मुन्नासिंह पुत्र तहसीलदार सिंह भदौरिया उम्र 38 साल निवासी सोने का पुरा पी०एस० सहसो जिला इटावा

----फरार आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता.

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक 19.11.2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त रूपा उर्फ रूपसिंह धोबी के विरूद्ध धारा 394, 397 भा०द०वि० सहपिटत धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट एवं धारा—25(1—ख)(क) एवं 27 आयुध अधिनियम सहपिटत धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्टके अंतर्गत आरोप है कि उसने दि०—04.09.05 को प्रातः 4.30 बजे कैमिकल फ्लैक्स फैक्ट्री के सामने आम रोड़ मालनपुर पर जब परिवादी मनोजसिंह पुत्र हेतसिंह अपने द्रक क्मांक— एम०पी०—09—के०डी०—3015 के पास सो रहा था उसी समय तीन अन्य सह अभियुक्तों के साथ डीजल चोरी करने का सामान्य आशय बनाया और सामान्य आशय के अनुक्रम में डीजल चोरी करने के समय परिवादी की नींद खुलने पर पूछने पर कट्टे जैसे आग्नेय अस्त्र से फायर करते हुए परिवादी को घोर उपहित कारित कर भाग गये। तथा उक्त सुसंगत समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में एक अवैध कट्टा बारह बोर का, जिसे रखे जाने के लिये वह वैध रूप से प्राधिकृत नहीं था न ही उसके पास उन्हें रखने की कोई वैध अनुज्ञप्ति थी, उसे अपने कब्जे में मय एक कारतूस के रखा एवं उक्त अवैध कट्टे

से लूट कारित करने में फायर कर उसका उपयोग किया।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि घटना दिनांक 04.0.05 को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के प्रावधान प्रभावशील थे।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी मनोजिस ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि उसने दिनांक 04.09.05 को अपनी गाड़ी द्रक कमांक—एम0पी0—09 के0डी0—3015 को लेकर खाली करने के लिये मालनपुर में फ्लैक्स कैमीकल फैक्ट्री के मेनगेट पर लाकर खड़ी कर दी थी। वहीं पर रंजीत व राजवीर अपनी गाड़ी कमांक—एम0पी0—09—2207 को लिये खड़े थे। उसके साथ रिंकू बोहरे थे। वह सब गाड़ी खड़ी कर सो गये थे। सुबह 04.30 बजे उसकी आंख खुली तो देखा कि दो व्यक्ति उसके द्रक की टंकी से डीजल निकाल रहे थे। दो व्यक्ति थोड़ी दूरी पर थे। जो चड्डी बनियान पहने थे। उसने टोका कि कौन है। इतने में राजवीर ने एक व्यक्ति को भागकर पकड़ लिया। परन्तु अज्ञात चोर अपने शरीर पर डीजल लगाये थे जो फिसल गया। उसने एक का पीछा किया तो उसने उसे दांहिने कंधा पर कट्टा से घायल कर दिया तथा चारौ अज्ञात चोरौं की उम्र 24—25 साल की होगी। घटना राजवीरसिंह, रंजीत व रिंकू ने देखी है जो मौक पर मौजूद थे। चारौ अज्ञात चोर एक सफेद कार में बैठकर सूर्या फैक्ट्री की तरफ भाग गये। गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया।
- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मालनपुर को करने पर अप०क०—108/05 धारा—458 एवं 327 भा०द०वि० का अपराध चार अज्ञात चोरों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं की गई विवेचना के आधार पर प्रकरण में धारा 394, 397 भादिव एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 का इजाफा किया गया एवं विवेचना में जप्ती गिरफ्तारी एवं साक्षीगण के कथन लिये एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
 - 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त रूपा उर्फ रूपसिंह धोबी के विरूद्ध धारा 394, 397 भा0द0वि0 सहपित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अलावा अतिरिक्त रूप से धारा—25(1—ख)(क) एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि 🦙
 - क्या दिनांक 04.09.05 को प्रातः 4.30 बर्ज कैमीकल फ्लैक्स फैक्टी मालनपुर के मैन गेट के सामने फिरयादी मनोजिसंह अपने द्रक क्रमांक—एम0पी0—09 केडी—3015 को खड़ा कर सो रहा था?
 - क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर तीन अन्य द्रक वाले राजवीर, रंजीत व रिंकू भी अपने द्रकों के साथ उपस्थित थे?
 - 3. क्या उक्त सुसंगत घटना के समय आरोपी रूपा के द्वारा फरार अभियुक्त मुन्नासिंह एवं नेतराम के साथ मिलकर द्रक से डीजल चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अनुक्रम में डीजल चोरी कर रहे थे?
 - 4. क्या आरोपी रूपा के द्वारा उक्त प्रकार के डीजल से डीजल चोरी करने पर नींद से जाग जाने पर फरियादी मनोजिसंह ने विरोध किया जिस पर उसे अवैध आग्नेय शस्त्र कट्टे से फायर करके घोर उपहित कारित की

गई?

5. क्या आरोपी रूपिसंह उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य व संज्ञान में वगैर वैध शस्त्र अनुज्ञा के बारह बोर का देशी कट्टा मय कारतूस आयुध अधिनियम 1959 की धारा—3 का उल्लंघन करते हुए रखे पाया गया?

3

6. क्या आरोपी रूपसिंह के द्वारा उक्त सुसंगत घटना में अवैध आग्नेय शस्त्र बारह बोर के देशी कट्टे का उपयोग किया?

_::-निष्कर्ष के आधार :--

विचारणीय प्रश्न कमांक- 1 एवं 2 का निराकरण

- 7. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 🥟 इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी मनोज अ०सा०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य कमांक-एम0पी0-09के0डी0-3015 का ज्ञायवर बताते हुए दिनांक 22.03.07 को दिये अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि घटना कथन दिनांक से पिछले वर्ष की जन्माष्टमी की है जिस समय वह मालनपुर में फ़्लैक्स फैक्ट्री में अपनी गाड़ी खडी किये था। अन्य गाड़ियों के ज्ञायवर भी वहाँ थे। सुबह करीब चार बजे का समय था। जब उसने अपनी गाडी डीजल देखा था कि कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया है। उसे दो तीन लोग डीजल चोरी कर ले जाते दिखे जिन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाये थे। चोरी करने वाले व्यक्ति ने उसे गोली कट्टे से मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी। फिर उसने थाना मालनपुर में जाकर प्र0पी0–4 की रिपोर्ट करने, पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 बनाये जाने तथा रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस द्वारा उसको ग्वालियर में भेजकर इलाज कराया जाना बताया है। जहाँ वह एक माह तक भर्ती रहा था। इसी आशय की अभिसाक्ष्य राजवीर अ०सा०–2 ने देते हुए समर्थन किया है और यह कहा है कि जो लोग डीजल निकाल रहे थे, वे चड्डी बनियान पहने थे। तथा उसके आवाज लगाने पर रंजीत, मनोज और रिंकू भी जाग गये थे जो अपनी अपनी गाड़ियों पर थे 🥻
- 9. रंजीत अ०सा0–3 ने यह भी बताया है कि वह दिनांक 03.09.05 को द्रक कमांक-एम0पी0–09 के0डी0–2207 का द्वायवर था। उसकी गाड़ी भी फ्लैक्स फैक्ट्री पर खड़ी थी। सुबह 3–4 बजे का समय था। ऊधम हुआ था तो वह जाग गये थे। द्रकों से डीजल निकाला गया था। लेकिन डीजल निकालने वालों को वह नहीं देख पाया था और जैसे ही वह जागा था तब कट्टे से फायर हुआ था जो मनोज के कंधे में लगा था। आरोपी सूर्या फैक्ट्री की तरफ भाग गये थे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से रिंकू को अपरीक्षित छोड़ा गया है।
- 10. घटना की एफ०आई०आर० दर्ज कराने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी परमालिसंह तोमर अ०सा०–9 ने दिनांक ०४.०९.०५ को थाना प्रभारी मालनपुर पर रहते हुए फिरयादी मनोज की रिपोर्ट पर से चार अज्ञात चोरों के विरूद्ध खड़े द्रक से डीजल निकालने पर मना करने और पकड़ने पर उसे घायल कर भाग जाने

संबंधी की गई रिपोर्ट पर से प्र0पी0–1 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है। इस प्रकार से विचारणीय प्रश्न कमांक-1 व 2 के संबंध में अ०सा०-1 लगायत 3 व 9 के अभिसाक्ष्य से इस बात की पृष्टि तो होती है कि दिनांक 04.09.05 को सुबह 4.30 बजे के करीब फलैक्स कैमीकल फैक्ट्री मालनपुर के सामने फरियादी मनोज द्रक कमांक-एम0पी0-09 के0डी0-3015 का द्वायवर होते हुए उसे खड़ा किये था। रंजीत, रिंकू भी अपने अपने द्वकों के साथ वहाँ मौजूद थे और सो रहे थे। तब जागने पर मनोज के द्रक से डीजल चोरी से निकालने की घटना हुई थी तथा नींद खुलने पर डीजल चोरी से निकालने वालों में से किसी ने मनोज को गोली मारकर घायल भी किया था जिससे बिन्दू क्रमांक-1 व 2 प्रमाणित होते हैं। किन्तु उक्त घटना आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई या कारित किये जाने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सकिय सहयोग किया हो, यह शेष विचारणीय बिन्दुओं के विश्लेषण में मूल्यांकित करना होगा।

Vविचारणीय प्रश्न कमांक— ३ एवं ४ का निराकरण

उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे के पूरक होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में प्रकरण में आहत हुए मनोज की एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0–8 के रूप में बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 13.10.15 को स्वीकार की गई है जिस पर से उसे साक्ष्य में ग्रहण किया गया है जिसके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 04.09.05 को सुबह करीब 8.15 बजे आहत मनोज का जे०ए०एच० मेडिकल हॉस्पीटल ग्वालियर के चिकित्सक आर0एस0ओ0 द्वारा परीक्षण करने पर उसके दांहिने कंधे में 2.5 से0मी0 गहरी और 2 से0मी0 आकार की क्लेवीकल हड़डी पर आग्नेय शस्त्र से चोट आई थीं जिसकी चोट के चारौ तरफ त्वचा काली पड गई थी और उस पर गन पाउडर भी था। चोट की प्रकृति एक्सरे परीक्षण पश्चात ही निश्चित की जा सकना चिकित्सक द्वारा अभिमत दिया गया है। पाई गई चोटें 6 घण्टे के भीतर की बताई गई हैं। अभियोजन कथानक मुताबिक घटना उक्त दिनांक को ही सुबह 4.30 बजे की बताई गई है जिससे प्र0पी0–8 के स्वीकृत होने से यह प्रमाणित हो जाता है कि मनोज को आग्नेय शस्त्र से चलाई गई गोली से दांहिने कंधे में क्लेवीकल हड्डी पर चोट थी। परीक्षित साक्षियों में से डॉ0 मेघा मित्तल अ0सा0–6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 04.09.05 को जे0ए0एच0 हॉस्पीटल ग्वालियर में रेडियोलॉजी विभाग में पी०जी० छात्रा के रूप में कार्यरत रहते हुए सी०एम०ओ० जे०ए० हॉस्पीटल द्वारा आहत मनोज को एक्सरे परीक्षण हेतू भेजे जाने पर और थाना मालनपुर के आरक्षक भूपेन्द्रसिंह नंबर—944 द्वारा लाये जाने पर उसकी दांहिने कंधे का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें दांहिने कंधे की क्लेवीकल हड्डी के बाहरी सिरे के नीचे एक गोलाकार आकार की धातू की बनी चीज मिली थी। उसके पास ही कुछ छोटे छोटे धातु के टुकड़े भी पाये गये थे। एक्सरे परीक्षण में अस्थिभंग होना नहीं पाया था जिसकी उसने प्र0पी0-7 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार करना और एक्सरे प्लेट आर्टिकल-ए होना बताते हुए दोनों पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं जिसकी साक्ष्य अखण्डनीय रही है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि आहत मनोज को पाई गई चोट में क्लेवीकल हड़डी के बाहरी सिरे के नीचे आग्नेय शस्त्र से चलाई गई गोली के धातु के टुकड़े मिले थे जिससे आहत की चोट आग्नेय शस्त्र से पहुंचाई जाना प्रमाणित होता है। उसमें कोई अस्थिभंग नहीं था। किन्तु यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि क्लेवीकल हड़डी और कंधा शरीर के मार्मिक अंगों से लगे हुए अंग हैं। तथा किसी भी आग्नेय शस्त्र की चोट अपने आप में गंभीर होती है और प्राण घातक भी हो सकती है। क्योंकि यदि वह किसी मार्मिक अंग पर पहुंचे तो गंभीर घटना संभावित है। ऐसे में आहत को आई चोटें गंभीर प्रकृति की ही उपधारित होगी।

14. प्रकरण यह देखना होगा कि क्या आहत मनोज को पाई गई चोटें अभियोजन कथानक मुताबिक बताई गई घटना में पहुंचीं और क्या विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा उसे प्रत्यक्ष रूप से या सामान्य आशय के अग्रसरण में पहुंचाई गईं या नहीं। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकित करना होगा। प्रकरण में घटना के आहत मनोज को तथा बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर, रंजीत को परीक्षित कराया गया है। रिंकू को अभियोजन द्वारा छोडा गया है। इसलिये इस संबंध में उनकी उपलब्धता का मूल्यांकन सर्वप्रथम करना उचित होगा।

15. मनोज अ0सा0–1 ने दिनांक 22.03.07 को दिये अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि घटना कथन देने के एक वर्ष पूर्व करीब 17 माह पुरानी जन्माष्टमी की बताते हुए यह कहा है कि वह द्रक क्रमांक-एम0पी0-09 के0डी0-3015 का द्वायवर था। और मालनपुर में फ्लैक्स फैक्टी में उसने गाड़ी खड़ी की थी। अन्य गार्डियों के ड्रायवर भी वहाँ थे। सुबह करीब चार बजे का समय था। उसने अपनी गाडी का डीजल देखा था कि कहीं किसी ने चोरी तो नहीं किया तब उसे दो तीन लोग डीजल चोरी कर ले जाते दिखे। जिन्हें उसने पकडने की कोशिश की थी किन्तू पकड नहीं पाया था। चोरी करने वाले व्यक्तियों में से एक ने उसे गोली मारी थी। जो कटटे से मारी गई थी। उसके कंधे में लगी थी। डीजल चोरी करने वालों की वह उम्र नहीं बता सकता है। फिर उसने मालनपुर थाने पर जाकर रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0–1 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह भी कहा है कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 बनाया था जिस पर उसने बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर किये थे। फिर पुलिस उसे ग्वालियर इलाज के लिये ले गयी थी। जहाँ वह एक माह तक भर्ती रहा था। साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण के द्वारा घटनाकारित करने का समर्थन नहीं किया है और यह बताया है कि उसके साथ घटना कारित करने वालों में से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है। अर्थात उसने हाजिर अदालत आरोपी रूपसिंह की पहचान नहीं की है। पुलिस को बयान देने से भी इन्कार किया है और यह बताया है कि उसका द्रक सड़क किनारे ग्राम घिरोंगी की सड़क की ओर मुंह करके खड़ा था। पुलिस को उसने घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की न तो उम्र बताई न ही कोई शिनाख्त बताई। न ही पुलिस ने कोई शिनाख्त कराई। और वह घटना कारित करने वालों की उम्र का भी सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। तथा पुलिस ने उससे किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कराई थी ኲ

16. उक्त साक्षी के संबंध में तर्कों में विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह कहना है कि फिरियादी से आरोपियों की पहचान इसिलये नहीं कराई गई क्योंकि उसने उम्र रिपोर्ट करते समय लिखाई थी और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी थे जिनके कथन लिये गये थे। कथनों से स्थिति स्पष्ट हुई थी। इसिलये पहचान के बिन्दु का बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है और एफ0आई0आर0 प्रमाणित मानी जावे। जबिक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं फिरियादी मनोज द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपी रूपा के विरुद्ध उसका कथन नहीं आया है और उसने अभियोजन का समर्थन न करने के बावजूद उसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। इसिलये उसके कथन से ही अभियोजन का मामला विफल हो जाता है।

17. प्रकरण में प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 अ0सा0—1 मनोज द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी जिसे तत्कालीन टी0आई0 परमालिसंह तोमर अ0सा0—9 के द्वारा लेखबद्ध किया जाना अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। परमालिसंह अ0सा0—9 ने फिरयादी के बताये अनुसार एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करना और एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध होने के पश्चात विवेचना प्र0आर0 अरविन्द सिंह को सुपुर्द करना कहा है। प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों की उम्र 24—25 साल होना और घटना में राजवीरिसंह, रिंकू व रंजीत के द्वारा देखा जाना बताया

गया है जिनमें से रिंकू को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है और उसे छोड़ा गया है इसलिये रिंकू के संबंध में यह उपधारणा निर्मित होगी कि वह अवश्य ही अभियोजन का समर्थन नहीं करता अन्यथा उसे पेश किया जाता। लेकिन अन्य बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर अ०सा0—2 के रूप में और रंजीत अ०सा0—3 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं।

18. राजवीर अ0सा0—2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 03.09.05 को द्रक कमांक—एम0पी0—09 के0डी0—2207 का ड्रायवर था और उसने अपनी गाडी फ्लैक्स फैक्ट्री के पास मालनपुर में खड़ी की थी। सुबह साढ़े तीन चार बजे का समय था। दो अज्ञात लोग द्रकों के डीजल टैंक तोडकर लेजम से डीजल निकाल रहे थे। आवाज आने पर उसने देखा था तो डीजल निकालने वाले लोग चड्डी बनियान पहने थे जिस पर उसने आवाज लगाई थी। आवाज पर उसके साथी मनोज, रिंकू व रंजीत भी जाग गये थे। जो अपनी अपनी गाडियों पर थे और उनकी गाडियों भी वहीं पास में खड़ी थीं जब वह सामने पहुंचे तो आरोपीगण भागने लगे थे और फायर कर दिया था जो मनोज को लगा था। डीजल चोरी करने वाले पास में ही खड़ी चार पहिया की गाड़ी में बैठकर एटलस फैक्ट्री की तरफ भाग गये थे। किन्तु उक्त साक्षी ने भी यह बताया है कि रात थी इसलिये वह आरोपीगण की पहचान नहीं कर पाया था और उसने दिनांक 22.03.07 को कथन देते समय भी उन्हें पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है। तथा इस बात से इन्कार किया है कि घटना कारित करने वाले लोग डीजल लगाये थे इसलिये फिसल कर भाग गये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया है।

19. रंजीत अ0सा0—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ0सा0—2 की तरह ही यह बताया है कि वह भी दक कमांक—एम0पी0—09केडी0—2207 पर द्धायवर था। और उनकी गाडी फ्लैक्स फैक्ट्री प मालनपुर में खड़ी थी। सुबह तीन चार बजे का समय था। ऊधम होने पर वह जाग गया था। दकों का डीजल निकाला था। लेकिन डीजल निकालने वालों को वह देख नहीं पाया था। आरोपीगण सूर्या फैक्ट्री की तरफ भाग गये थे। जब वह जागे वैसे ही कट्टे का फायर हुआ था जो मनोज के कंधे में लगा था। फिर वे मनोज को लेकर थाना मालनपुर गये थे। रिपोर्ट करने वालों को वह नहीं पहचान पाई थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा अ0सा0—1 की तरह ही पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है।

इस प्रकार से फरियादी मनोज एवं चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर और रंजीत अ0सा0-1 लगायत अ०सा0-3 तीनों ने ही अपने अभिसाक्ष्य में किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की है और अनुसंधान के दौरान भी कोई शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई है। उक्त तीनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की पृष्टि होती है कि फरियादी मनोज घटना दिनांक 04.09.05 को सुबह करीब 4.30 बजे अपना द्रक क्रमांक-एम0पी0-09के0डी0-3015 को मालनपुर फुलैक्स फैक्ट्री के पास खडा किया था और उसके द्रक से कुछ लोग चोरी से डीजल निकालने का प्रयास कर रहे थे जिस पर रोके जाने पर चोरी करने वालों में से किसी ने मनोज के उपर कट्टे से फायर किया जिससे उसे दांहिने कंधे में क्लेवीकल हडडी पर गोली लगकर गंभीर चोट पहंची थी। लेकिन चोरी करने वाले आरोपीगण या उनमें से कोई था, ऐसा न तो मनोज अ०सा0–1 की अभिसाक्ष्य से सिद्ध होता है न ही राजवीर अ०सा0-2 और रंजीत अ०सा0-3 की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। तथा प्रकरण में अभियोजन द्वारा मनोज अ०सा०–1 और रंजीत अ०सा०–3 को अभियोजन के कथानक अनुसार समर्थन न किये जाने के बावजूद धारा-154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न तो पक्ष विरोधी घोषित किया गया है न ही प्रतिपरीक्षा की अनुज्ञा की ईप्सा की गई है। ऐसे में उनका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। और माननीय न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत राकेश विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० एम0पी0डब्ल्यु0एन0 एस0एन0 46 में यही मार्गदर्शित किया गया है कि यदि अभियोजन साक्षी पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया ग्या है या उसकी प्रति परीक्षा की ईप्सा न की गई हो तो उसका वर्णन अभियोजन पर आबद्धकर होगा।

- 21. उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में भी अवैध कट्टे से प्राण घातक हमले की घटना थी। जिस पर उसने भागते हुए गोली चलाई थी जैसा कि विचारण मामले में भी है इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है जिससे आरोपियों की पहचान के संबंध में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं है इसलिये युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी रूपसिंह या नेतराम घटना में शामिल रहे या उनमें से किसी के द्वारा द्रक से डीजल चोरी करने का प्रयास किया और रोके जाने पर फरियादी मनोज को अवैध आग्नेय शस्त्र से गंभीर चोटें पहुंचाईं।
- 22. अ०सा०—9 के अनुसार विवेचना उसने स्वयं न करके एफ०आई०आर० दर्ज करने के पश्चात प्र०आर० अरविन्दिसंह को सौंपना कहा है। अरविन्दिसंह अ०सा०—4 के रूप में प्रकरण में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 04.09.05 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ था तब उसे अप०क०—105 / 05 की विवेचना एफ०आई०आर० सिहत प्राप्त हुई थी जिस पर से उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मानचित्र प्र०पी०—2 मनोज की निशादेही पर बनाया था। तथा उसी दिन उसने फिरयादी मनोज, साक्षी रंजीत, राजवीर व रिंकू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। राजवीर ने उसे प्र०पी०—3 का ए से ए भाग काा कथन स्वेच्छ्या से दिया था और उसने प्रकरण की विवेचना करना बताया है जिसका समर्थन न तो फिरयादी मनोज ने किया न ही चक्षुदर्शी साक्षी राजवीर व रंजीत ने किया है। इसलिये विवेचक के अभिसाक्ष्य से उसके द्वारा की गई उक्त विवेचना को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। न ही उससे कोई तत्व जो कि लूट के अपराध के प्रमाण के लिये आवश्यक हैं, वह प्रमाणित होते हैं।
- 23. इस प्रकार से प्रकरण में धारा—394 एवं 397 सहपिटत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के विरचित आरोप पूरी तरह से आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह के संबंध में संदिग्ध हो जाते हैं जिससे उक्त विचारणीय बिन्दु कमांक—3 एवं 4 संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं। तथा यह साबित नहीं होता है कि मूल घटना में विचाराधीन आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह के द्वारा अंजाम दी गई या सामान्य आशय के अग्रसरण में उसने सिक्रय सहयोग किया। फलतः आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह को धारा—394, 397 भादवि सहपिटत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-5 एवं 6 का निराकरण

24. दोनों विचारणीय प्रश्न आरोपी रूपसिंह के संबंध में विरचित आरोप धारा—25(1—ख)(क) एवं 27 आयुध अधिनियम सहपिठत धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 से संबंधित हैं जिसके संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उनमें से जबरिसंह अ0सा0—8 जो कि जप्ती पत्र प्र0पी0—6 का पंच साक्षी है, उसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में घटना के विषय में कोई भी जानकारी होने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और उसने प्र0पी0—6 पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी रूपसिंह को उसके घर ग्राम माहौ से 12 बोर के देशी कट्टा व एक कारतूस जप्त

किया था। प्र0पी0—6 पर उसने पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन ने पक्ष विरोधी घोषित किया है और उस पर विश्वास नहीं किया है।

25. इसी प्रकार रामज्ञान अ०सा०—10 जो कि आरोपी रूपसिंह के गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—4, मेमोरेण्डम कथनप्र0पी0—5 का साक्षी है, उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा उसने यह बताया है कि उसे ऐसा याद नहीं है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह को दिनांक 25.07.06 को हरीराम की कुईया से गिरफ्तार किया था। लेकिन इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार करता है कि उसके सामने आरोपी रूपा ने पुलिस को प्र0पी0—5 का मेमोरेण्डम कथन दिया था। तथा आरोपी से पूर्व परिचित होने से भी वह इन्कार करते हुए उसने प्र0पी0—4 व 5 का समर्थन नहीं किया है। केवल प्र0पी0—4 व 5 पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना अवश्य बताये हैं। इस तरह से उसे भी पक्ष विरोधी घोषित करते हुए अभियोजन ने उस पर विश्वास नहीं किया है। इसके अलावा अन्य जो परीक्षित साक्षी इस संबंध में हैं, उनमें सभी पुलिस साक्षी हैं, इसिलये उनकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अपेक्षित व आवश्यक हो जाता है।

26. अभियोजन के कथानक मुताबिक आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह को दिनांक 25.07.06 को प्र0पी0—4 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक हरीराम की कुईया थाना मालनपुर से गिरफ्तार किये जाने, पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्र0पी0—5 का ज्ञापन देना और उसमें फायर किये गये कट्टे को अपने घर पर सोने वाले कमरे में अटेची में छुपाकर रखने और बरामद कराना बताया है जिसके आधार पर प्र0पी0—6 मुताबिक आरोपी के घर से 1 बोर का देशी कट्टा व कारतूस बरामद होना बताया है इसलिये प्रकरण के लिये प्र0पी0—4 लगायत 6 के दस्तावेज अत्यंत महत्व के हो जाते हैं जिनसे संबंधित शेष साक्षी पुलिस कर्मी हैं जिनकी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा।

27. प्र0आर0 अरविन्दिसंह अ०सां०—4 ने इस संबंध में अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 25.07.06 को उसने आरोपी रूपिसंह को हरीरामपुरा कुईया से गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया था औरप्र0पी0—4 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। उसी दिन अभिरक्षा के दौरान पूछताछ करने पर आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह ने एक कट्टा अपने घर में सोने वाले कमरे में रखने और बरामद कराने की जानकारी दी थी जिसके संबंध में उसने धारा—27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ज्ञापन साक्षी रामज्ञान और आरक्षक रामकुमार के समक्ष तैयार किया था जो प्र0पी0—5 है और दी गई जानकारी के आधार पर उसी दिन वह आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह को लेकर ग्राम माहौ में उसके घर गया था। जहाँ से 12 बोर का एक देशी कट्टा व एक कारतूस उक्त गवाहों के समक्ष जप्त कर प्र0पी0—6 का जप्ती पत्रक उसने बनाया था जिसका समर्थन आरक्षक रामकुमार अ०सा0—5 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में किया है किन्तु दूसरा जो पंच साक्षी जवरिसंह है वह प्र0पी0—6 का साक्षी है तथा रामज्ञान जो प्र0पी0—4 व 5 का साक्षी है, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है।

28. अभिलेख पर प्र0पी0—6 के दूसरे पंच साक्षी के रूप में आरक्षक राजवीरसिंह अ0सा0—7 को परीक्षित कराया गया है। जिसने अरविन्द अ0सा0—4 का प्र0पी0—6 के संबंध में समर्थन किया है और यह कहा है कि आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह ने स्वयं अपने घर के अंदर मकान के कमरे में से कट्टा निकालकर दिया था। घर पर उसकी माँ भी थी। उसका घर एक मंजिला है लेकिन उसके घर में कितने कमरे हैं, दरवाजा किस दिशा में है, यह उसे पता नहीं है। आरक्षक रामकुमार अ0सा0—5 ने प्र0पी0—5 के संबंध में यह कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी ने अभिरक्षा के दौरान पूछताछ करने

पर क्या जानकारी दी थी। उसके सामने कट्टे की बातचीत चल रही थी और कट्टा बताये जाने की जानकारी दी गई थी। आरोपी को वह पहले से नहीं जानता था। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि आरोपी ने कौनसा कट्टा बरामद कराने की जानकारी दी थी। इस साक्षी ने भी यही बताया है कि आरोपी ने कमरे निकालकर कट्टा बरामद कराया था और वह साथ में गया था और बाहर खडा रहा था। कट्टा किसने निकालकर दिया था यह उसने नहीं देखा। इस तरह से दोनों आरक्षक रामकुमार और राजवीर की अभिसाक्ष्य मुताबिक कट्टा आरोपी निकालकर लाया। पुलिस उसके घर के अंदर नहीं गई।

- 29. इस संबंध में विवेचक अरविन्दिसंह अ०सा०—4 ने पैरा—7 में यह कहा है कि जप्ती करने वह घर गया था और दिन में गया था। आरोपी ने कट्टा किस जगह से उठाकर दिया था, यह उसे याद नहीं है। कमरे से निकालकर दिया था। वहाँ दरवाजा था दरवाजे में किवाड़ लगे थे या नहीं, यह भी उसे ध्यान नहीं है। घर पर एक महिला मिली थी। गांव में लोग मौजूद थे। लेकिन बुलाने पर नहीं आये थे। इस बात से उसने इन्कार किया है कि कार्यवाही थाने पर बैठकर की।
- 30. प्रकरण में जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि आरोपी रूपिसंह उर्फ रूपा से वास्तिवकता में कोई कट्टा कारतूस बरामद नहीं हुआ है और पुलिस ने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर झूंठी कर दी है। इसी कारण कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं है और स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। पुलिस साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभाष की स्थिति है इसिलये जप्ती प्रमाणित नहीं है। अतः आरोपी रूपिसंह को दोषमुक्त किया जावे। जबिक विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि पुलिस साक्षी भी निष्पक्ष साक्षी की श्रेणी में आता है और उस पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि वह शासकीय सेवक है और आरोपी रूपा से अवैध कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। इसिलये प्र0पी0—4 लगायत 6 के दस्तावेज प्रमाणित होते हैं और उससे आयुध अधिनियम के आरोपों में आरोपी रूपा उर्फ रूपिसंह को दोषसिद्ध कर दिखत किया जावे।
- प्रकरण में प्र0पी0-4 लगायत 6 की कार्यवाही दिनांक 25.07.06 को यकायक हुई 31. है। वह घटना में किस प्रकार से संलिप्त था यह स्पष्ट करने में अभियोजन असफल है और मूल अपराध धारा—394, 397 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी०व्ही0पी0के० एक्ट का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। तथा विवेचना करने वाले प्र0आर0 अरविन्दसिंह अ०सा०–४ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर आरोपी को पकड़ा गया था। प्रकरण में कोई रोजनामचासान्हा रवानगी वापिसी का भी पेश नहीं किया गया है। स्वतंत्र और आम जनता के साक्षी जबरसिंह और रामज्ञान ने प्र0पी0–4 लगायत 6 के दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया है। तथा पुलिस आरक्षक रामकुमार और राजवीर को भी जानकारी नहीं है कि कट्टा कहाँ से निकालकर लाया गया था। किस प्रकार की कट्टे की जानकारी दी गई थी। ऐसे में प्र0पी0-4 लगायत 6 की कार्यवाही इस संबंध में अ0सा0-4, 5 और 7 की अभिसाक्ष्य के आधार पर आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह की घटना में संलिप्तता स्थापित नहीं होती है। इसलिये अ०सा०-४, 5 एवं 7 के अभिसाक्ष्य के आधार पर विचारणीय बिन्दू क्रमांक–5 एवं 6 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तथा अभिलेख पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जो कट्टा बरामद होना बताया गया है उसका मनोज को पहुंचाई गई चोट में प्रयोग किया गया था
- 32. जिस प्र0पी0—5 के ज्ञापन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही हुई है उसमें भी विशिष्ट स्थान जो प्र0पी0—5 में बताया गया था, वहाँ से जप्ती होने की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि प्र0पी0—5 में आरोपी ने अपने घर के सोने वाले कमरे में अटेची में कट्टा रखना

बताया है। जबकि जो साक्ष्य जप्ती के बारे में आई है उसमें यह बताया गया है कि पुलिस बाहर खडी रही और आरोपी ने अंदर से कहीं से लाकर कट्टा दिया। प्र0पी0-4 व 5 का साक्षी रामज्ञान जो कि पहाडिया गांव का है, वह किस प्रकार से मौके पर मिल गया और जप्ती का साक्षी जबरसिंह जो कि ग्राम पहाडिया का रहने वाला है, वह आरोपी के घर ग्राम माहौ में किस प्रयोजन से था, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि विवेचक मौके पर ही गवाहों का मिल जाना पैरा-7 में बताता है। जबकि साक्षी थाने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराना कह रहे हैं। ऐसे में विरोधाभाष की स्थिति है और ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा-25/27 आर्म्स एक्ट के मामले के संदर्भ में यह मार्गदर्शित भी किया गया है कि यदि धारा-25/27 आयुध अधिनियम के मामले में अभिग्रहण के स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया हो और पुलिस साक्षीगण भी एकदूसरे से संपुष्ट नहीं होते हैं तो पूरा अपराध साबित नहीं होगा। इस मामले में भी ऐसी स्थिति है क्योंकि आरक्षक रामकुमार अ0सा0–5 और आरक्षक राजवीर अ0सा0–7 एकदूसरे की संपुष्टि नहीं कर रहे हैं। रोजनामचासान्हा का पेश न किया जाना अभियोजन की दुर्बलता को दर्शाता है। इसलिये आरोपी रूपसिंह उर्फ रूपा के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वह उक्त सुसंगत घटना के समय अपने आधिपत्य में वगैर वैध अनुज्ञप्ति लिये 12 बोर का देशी कट्टा मय जिन्दा कारतूस रखे हुए था।

🕨 फलतः आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह को धारा–25(1–ख)(क) एवं 27 आयुध अधिनियम के आरोपों से भी संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह न्यायिक निरोध से प्रोडक्शन वारण्ट के पालन 35. पेश हुआ है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।

प्रकरण में आरोपी नेतराम उर्फ नेता के विरूद्ध धारा-317 (2) दप्रसं के तहत कार्यवाही कर उसका मामला पृथक किया गया है एवं आरोपी मुन्नासिंह फरार है अतः प्रकरण में जप्तश्दा संपत्ति के संबंध में अंतिम निराकरण उक्त दोनों आरोपीगण के विचारण उपरान्त ही किया जा सकेगा।

निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे। 37.

दिनांक: 19 नवंबर-2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

्राकेत (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड